Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-01 01-15 जनवरी, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है'

हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है : नरेन्द्र मोदी

रायपुर (छत्तीसगढ़) में 13 दिसंबर, 2024 को 'जनादेश परव' में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते छत्तीसगढ़ भाजपा नेतागण

रायपुर (छत्तीसगढ़) में 13 दिसंबर, 2024 को नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय 'स्मृति मंदिर' का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2024 को 'भाजपा को जानें' पहल के तहत श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

छत्तीसगढ़ में 16 दिसंबर, 2024 को पूर्व में नक्सलियों के गढ़ के रूप में पूर्व में जाने–जाने वाले बीजापुर के गुंडम गांव में स्कूली बच्चों से बातचीत करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2024 को जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2024 को 'विजय दिवस' के अवसर पर भारत के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 सबके प्रयास से हम लोग 'विकसित भारत' का सपना पूरा कर सकते हैं: नरेन्द्र मोदी

सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत के सभी नागरिकों और दुनिया भर के सभी लोकतंत्र...

14 मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है: जगत प्रकाश नड्डा

कुछ ही दिन बाद हम अपने गणतंत्र के 75 साल पूरे होते हुए देखेंगे। यह उत्सव एक तरीके से...

16 भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है: राजनाथ सिंह

हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे है। 75 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा...

17 मोदी सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाकर मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया: अमित शाह

चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि...

19 'आज का भारत' अपने आप में एक अलग पहचान रखता है: निर्मला सीतारमण

संविधान सभा के 389 सदस्यों, विशेषकर 15 महिला सदस्यों ने तीन वर्ष से भी कम समय में एक साथ कठिन चुनौती स्वीकार की और...

ब्लॉग

रण उत्सव – प्रकृति, परंपरा और प्राचीनता का उत्सव / **नरेन्द्र मोदी** 28

अन्य

भाजपा सत्ता का उपयोग जनसेवा के लिए, जबकि कांग्रेस उपभोग के लिए करती है: जगत प्रकाश नड्डा 20

एक राष्ट्र, एक चुनाव 22

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए मार्च, 2018 के 14.58 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर सितंबर, 2024 में 3.12 प्रतिशत हुआ 24

97.48% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा 24

भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं जारी हैं 25

मातृ मृत्यु दर 2017-2019 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई 25

मोदी स्टोरी 26

कमल पुष्प 26

आज केंद्र और राज्य की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं: नरेन्द्र मोदी 27

पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए 30

सत्र में लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें आयोजित की गईं 31

पीएम-आशा से किसानों को सशक्त बनाना 32

'भाजपा को जानें' पहल 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

भारत के टैलेंट से दुनिया की तरक्की हो, इसलिए विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के वेलफेयर और सुविधाओं के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

(21 दिसंबर, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

कोई प्रदेश नहीं बचेगा, सभी जगह भाजपा का कमल खिलेगा और विचारधारा के आधार पर खिलेगा। भारत में परिवारवादी पार्टियां नहीं चल सकती हैं। विचारधारा के साथ जुड़कर उसके लिए सर्वस्व लगाने वाले लोग जहां पैदा होते हैं, वही पार्टी आगे बढ़ती है।

(13 दिसंबर, 2024)

अमित शाह

पशुपतिनाथ से तिरुपति तक नक्सलियों का कॉरिडोर बनाने की बात करने वालों का स्वप्न टूट गया है। भारत 31 मार्च, 2026 से पहले पूरी तरह से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा।

(14 दिसंबर, 2024)

राजनाथ सिंह

आजकल विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, क्योंकि यही उनके यहां परंपरा रही है, जबकि बीजेपी इसे सर माथे पर लगाती है।

(13 दिसंबर, 2024)

बी.एल. संतोष

आज भाजपा सदस्यता अभियान ने 12 करोड़ सदस्यता का एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। हरियाणा अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू-कश्मीर भी अपना योगदान दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में अभियान प्रारंभ हो रहा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दो सप्ताह में हम 13 करोड़ सदस्य संख्या को पार कर लेंगे। बहुत अच्छा!

(18 दिसंबर, 2024)

धर्मेंद्र प्रधान

पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि अगर संविधान हमारे आड़े आता है तो उसे हर कीमत पर बदलना होगा। संविधान के प्रति कांग्रेस के सम्मान का यही इतिहास है।

(14 दिसंबर, 2024)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
पोंगल, बिहु और मकर संक्रांति (15 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

राष्ट्र संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों एवं भावना पर अपनी निष्ठा पुनः व्यक्त कर रहा है

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के एक विशेष संयुक्त सत्र को 26 नवंबर, 2024 को प्रेरक संबोधन के साथ देश का 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने का संकल्प और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है। साथ ही, संविधान के अंगीकृत होने के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में हुई चर्चा से देश का संविधान, इसके मूल्यों एवं सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता पुनः परिलक्षित हुई है। संविधान, भारतीय लोकतंत्र को गढ़ने में इसकी भूमिका तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित चर्चा में विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया। ध्यातव्य है कि 'संविधान दिवस' संविधान के अंगीकार करने की दिवस के रूप में हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 26 नवंबर को संविधान के अंगीकृत होने का 75वीं वर्षगांठ है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इस अवसर पर हुई बहस देश के लिए उदाहरण बनते तथा जन-जन को संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजग कर उनके संवैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया जाता, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्ष ने अपने राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया। जब भी संविधान पर कोई बहस होती है, कांग्रेस का संविधान पर हमले एवं इसकी आत्मा को कुचलने का काला इतिहास देश के सामने जरूर आता है, यही कारण है कि इस बहस के दौरान, अपने काले इतिहास से देश का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस आधारहीन आरोपों का सहारा लेने पर उतर आई। देश आज भी नहीं भूला है जब सत्ता का खुला दुरुपयोग कर कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था। इस समय जनता से मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, विपक्ष के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, प्रेस पर पाबंदियां लगा दी गई थीं, न्यायपालिका को डराया-धमकाया जा रहा था तथा संविधान की हत्या की जा रही थी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदेशों के गैर-कांग्रेसी सरकारों को अस्थिर कर गिराया तथा केंद्र तक में लोकतांत्रिक जनादेश का हनन किया गया, अभी भी राष्ट्रीय मानस में अंकित है। कांग्रेस ने न केवल संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया, बल्कि अपनी निरंकुश सत्ता के बल पर अपनी सत्ता को चुनौती देने वाली आवाजों को निर्ममता से कुचला। संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक भावना के पूरी तरह विरुद्ध जाकर कांग्रेस ने देश पर अपनी तानाशाही लादने के प्रयास किए।

> **कांग्रेस ने न केवल संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया, बल्कि अपनी निरंकुश सत्ता के बल पर अपनी सत्ता को चुनौती देने वाली आवाजों को निर्ममता से कुचला**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2015 को मुंबई में डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास करते हुए घोषणा की थी कि 'भारत रत्न' डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की स्मृति में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय जन-जन में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने तथा संविधान निर्माताओं, विशेषकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान का सम्मान करने के लिए गया। जहां, भाजपा एवं भाजपा सरकारें बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने, संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों एवं भावना का सम्मान करने के लिए जानी जाती है, वहीं पीड़ितों, वंचितों एवं शोषितों के लिए इनके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों से दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला एवं युवा वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भाजपा ने बाबा साहेब की समृद्ध विरासत का सम्मान 'पंचतीर्थ', के निर्माण तथा उनके विचारों को समाज में स्थापित करने के प्रयासों के माध्यम से कर रही है। दूसरी ओर, इससे ठीक विपरीत, कांग्रेस ने बाबा साहेब का निरंतर अपमान किया। उन्हें चुनाव हरवाया, कैबिनेट से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया, न उन्हें 'भारत रत्न' दिया न ही उनके चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में कभी लगाया तथा उनके विरासत को दरकिनार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के समृद्ध विरासत पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इस संबंध में उसका कोई भी प्रायश्चित कभी स्वीकार्य नहीं होगा। आज, जब पूरा राष्ट्र संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों एवं भावना पर अपनी निष्ठा पुनः व्यक्त कर रहा है, बाबा साहेब की विरासत जन-जन को प्रेरित कर रही है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

सबके प्रयास से हम लोग 'विकसित भारत' का सपना पूरा कर सकते हैं: नरेन्द्र मोदी

सदन के समक्ष 11 प्रस्ताव

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य के लिए संविधान की भावना से प्रेरित होकर वह सदन के समक्ष 11 प्रस्ताव रखना चाहते हैं:

- पहला संकल्प— चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
- दूसरा संकल्प— हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, 'सबका साथ सबका विकास'।
- तीसरा संकल्प— भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की कोई सामाजिक स्वीकार्यता न हो।
- चौथा संकल्प— देश के नागरिकों को देश के कानून, देश के नियमों और देश की परंपराओं का पालन करने में गर्व हो।
- पांचवां संकल्प— गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले, देश की विरासत पर गर्व हो।
- छठा संकल्प— देश की राजनीति को भाई-भतीजावाद से मुक्त किया जाए।
- सातवां संकल्प— संविधान का सम्मान किया जाए, संविधान को राजनीतिक लाभ के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाए।
- आठवां संकल्प— संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनसे आरक्षण नहीं छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण देने की हर कोशिश को रोका जाए।
- नौवां संकल्प— महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने।
- दसवां संकल्प— राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारा विकास का मंत्र हो।
- ग्यारहवां संकल्प— एक भारत-श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य सर्वोपरि हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 14 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में हुई विशेष चर्चा में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक अतीत हमेशा समृद्ध और दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहा है और इसीलिए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा करने का मौका मिला, तो संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। श्री मोदी ने कहा कि 'गरीबी हटाओ' का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया, क्योंकि गरीबों को उनकी कठिनाइयों से मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनका मिशन और प्रतिबद्धता गरीबों को इन मुश्किलों से मुक्ति दिलाना है और वे इसे हासिल करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। यहां प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख अंश:

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत के सभी नागरिकों और दुनिया भर के सभी लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोकतंत्र के इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे संविधान के 75 वर्षों की इस उल्लेखनीय और यादगार यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, दिव्य दृष्टि और प्रयासों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब यह लोकतंत्र का उत्सव मनाने का पल है।

75 वर्षों की उपलब्धि को एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संविधान ने भारत की आजादी के तुरंत बाद सभी अनुमानित संभावनाओं और उसके बाद की चुनौतियों पर काबू पाकर हम सभी को यहां तक ले आया। उन्होंने इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं और करोड़ों नागरिकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

भारत: लोकतंत्र की जननी

श्री मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी इस विचार का समर्थन नहीं किया कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है या संविधान 1950 से लागू होगा, बल्कि वे भारत और इसके लोकतंत्र की महान परंपरा व विरासत पर विश्वास एवं गर्व करते थे। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक अतीत हमेशा समृद्ध और दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सभा में हुई बहसों में से राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन को उद्धृत करते हुए कहा कि सदियों के बाद ऐसी घटनापूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो मुझे हमारे महान अतीत और पहले के समय की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे और सभाओं में बुद्धिजीवी लोग सार्थक मुद्दों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया करते थे। फिर उन्होंने डॉ. एस. राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा, "इस महान राष्ट्र के लिए गणतंत्र की प्रणाली कोई नया विचार नहीं है, क्योंकि हमारे यहां यह प्रणाली हमारे इतिहास की शुरुआत से ही रही है।" इसके बाद श्री मोदी ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा, "ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं था, एक समय था जब भारत में कई गणराज्य हुआ करते थे।"

आजादी के समय से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार

प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा इसे और अधिक सशक्त बनाने में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में पंद्रह सम्मानित और सक्रिय महिला सदस्य थीं और उन्होंने अपने मौलिक विचार, दृष्टिकोण और विचार देकर संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को और मजबूत किया। इस तथ्य को याद करते हुए कि उनमें से प्रत्येक विविध पृष्ठभूमि से थीं, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला सदस्यों द्वारा दिए गए सारगर्भित सुझावों का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा।

श्री मोदी ने इस बात पर भी गर्व व्यक्त किया कि दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में भारत में आजादी के समय से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया और कई देशों को यह अधिकार देने में दशकों लग गए। उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। श्री मोदी ने सभी सांसदों द्वारा नारीशक्ति वंदन अधिनियम के सफल कार्यान्वयन का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार ने महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रमुख नीतिगत निर्णय के केन्द्र में महिलाएं होती हैं और उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि यह एक महान संयोग है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान की भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है।

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो

इस बात को दोहराते हुए कि भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है, श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना 140 करोड़ देशवासियों का साझा संकल्प है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो। उन्होंने आगे कहा कि इस संकल्प को हासिल करने के लिए भारत की एकता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार भी है।

विविधता में एकता भारत की विशेषता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं के दिल और दिमाग में एकता थी। हालांकि, आज़ादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश सबसे बड़ा प्रहार देश की एकता की मूल भावना पर ही हुआ। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विविधता में एकता भारत की विशेषता रही है और इस बात पर जोर दिया कि हम विविधता का उत्सव मनाते हैं और देश की प्रगति भी इस विविधता का उत्सव मनाने में ही निहित है। हालांकि, भारत का भला नहीं चाहने और इस देश का जन्म 1947 से मानने वाले औपनिवेशिक मानसिकता के लोग इस विविधता में विरोधाभास ढूढ़ते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता के इस अमूल्य खजाने का उत्सव मनाने के बजाय देश की एकता को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से इसके भीतर जहरीले बीज बोने का प्रयास किया गया। श्री मोदी ने सभी से विविधता के उत्सव को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया और यही डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

धारा 370 देश की एकता में बाधक थी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों का लक्ष्य भारत की एकता को लगातार मजबूत करना रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 देश की एकता में बाधक थी और एक अवरोध के रूप में काम करती थी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की भावना के अनुरूप देश की एकता प्राथमिकता थी और इसलिए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया।

'एक राष्ट्र, एक कर'

श्री मोदी ने आर्थिक रूप से आगे बढ़ने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए भारत में अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी को लेकर लंबे समय तक चर्चा चलती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने आर्थिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पिछली सरकार के योगदान को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान सरकार के पास 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसे लागू करने का अवसर था।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

हमारे देश में राशन कार्ड के महत्व व गरीबों के लिए उसके एक मूल्यवान दस्तावेज होने और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर एक गरीब व्यक्ति को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे किसी भी लाभ के हकदार नहीं होते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वे इस विशाल देश में कहीं भी जाए। श्री मोदी ने कहा कि एकता की इस भावना को मजबूत करने के लिए सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की अवधारणा को मजबूत किया है।

'एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य कार्ड'

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबों और आम नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से गरीबी से लड़ने की उनकी क्षमता में काफी वृद्धि होती है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि जहां वे काम करते हैं वहां तो स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो जाती है, लेकिन यह सुविधा उन्हें तब भी उपलब्ध होनी चाहिए, जब वे बाहर गए हों और जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य कार्ड' पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पुणे में काम करने वाला बिहार के सुदूर इलाके का व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड से आवश्यक चिकित्सा सेवाएं हासिल कर सकता है।

'एक राष्ट्र, एक ग्रिड'

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे समय थे जब देश के एक हिस्से में बिजली थी, जबकि दूसरा हिस्सा आपूर्ति की समस्या के कारण अंधेरे में था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान बिजली की कमी के लिए भारत की अक्सर वैश्विक स्तर पर आलोचना की जाती थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की भावना और एकता के मंत्र को बनाए रखने के लिए सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' पहल लागू की। उन्होंने कहा कि आज, भारत के हर कोने में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सकती है।

एकता को बढ़ावा

देश में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से संतुलित विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे वह उत्तर-पूर्व हो, जम्मू-कश्मीर हो, हिमालयी क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र, सरकार ने बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विकास के अभाव के कारण दूरी की किसी भी भावना को खत्म करना है ताकि एकता को बढ़ावा मिले।

'संपन्न' और 'असहाय' लोगों के बीच डिजिटल विभाजन पर जोर देते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल इंडिया में भारत की सफलता की कहानी वैश्विक स्तर पर बेहद गर्व का स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण इस सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

मातृभाषा को महत्व

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान एकता की अपेक्षा करता है और इसी भावना से मातृभाषा के महत्व को मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को दबाने से देश की जनता सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा को उल्लेखनीय महत्व दिया है, ताकि सबसे गरीब बच्चे भी अपनी मातृभाषा में डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। उन्होंने कहा कि संविधान हर किसी का समर्थन करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करने का निर्देश देता है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई शास्त्रीय

भाषाओं को उनका उचित स्थान और सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है और नई पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्यों का संचार कर रहा है।

इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि काशी तमिल संगमम और तेलुगु काशी संगमम महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रम बन गए हैं, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये सांस्कृतिक पहल सामाजिक बंधनों को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल सिद्धांतों में भारत की एकता के महत्व को मान्यता दी गई है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

आपातकाल: लोकतंत्र का गला घोंटा गया

श्री मोदी ने कहा कि अब जबकि संविधान अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो 25, 50 और 60 वर्ष जैसे पड़ाव भी महत्व रखते हैं। उन्होंने इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान की 25वीं वर्षगांठ के दौरान देश में इसकी धज्जियां उड़ाई गईं। श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आपातकाल लगाया गया था, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था, देश को जेल में बदल दिया गया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया और संविधान निर्माताओं के बलिदानों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई।

संविधान के प्रति विशेष सम्मान

श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्र ने 26 नवंबर, 2000 को संविधान की 50वीं वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल वाजपेयीजी ने एकता, जनभागीदारी और भागीदारी महत्व पर बल देते हुए राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी के प्रयासों का उद्देश्य संविधान की भावना को जीना और जनता को जागृत करना था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की 50वीं वर्षगांठ के दौरान उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में संविधान की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार संविधान को हाथी पर विशेष व्यवस्था के साथ रखा गया और संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का बहुत महत्व है और आज, जब इसके 75 वर्ष पूरे हो गए, उन्होंने लोकसभा में एक घटना को याद किया जिसमें एक वरिष्ठ नेता ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था, यह देखते हुए कि 26 जनवरी पहले से ही मौजूद है।

श्री मोदी ने विशेष सत्र के बारे में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान की शक्ति और विविधताओं पर चर्चा करना लाभदायक होता, जो नई पीढ़ी के लिए मूल्यवान होता। हालांकि, उन्होंने टिप्पणी की कि हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरियां हैं, विभिन्न रूपों में उनकी अपनी विफलताएं थीं, कइयों ने अपनी विफलताओं को प्रकट भी किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर होता कि चर्चा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर केन्द्रित होती, जिससे नई पीढ़ी समृद्ध होती।

श्री मोदी ने संविधान के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि यह संविधान की भावना ही थी, जिसने उनके जैसे कई लोगों को वहां तक पहुंचने में सक्षम बनाया जहां वे आज हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना किसी पृष्ठभूमि के यह संविधान का सामर्थ्य और लोगों का आशीर्वाद ही था, जिसने उन्हें यहां पहुंचाया। श्री मोदी ने कहा कि समान परिस्थितियों में कई व्यक्ति संविधान के कारण महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा सौभाग्य है कि देश ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अपार विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि संविधान के बिना यह संभव नहीं होता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला

श्री मोदी ने कहा कि 1947 से 1952 तक भारत में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी, चयनित सरकार थी और कोई चुनाव नहीं हुए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1952 से पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था और राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए थे, जिसका अर्थ हुआ कि लोगों की ओर से कोई जनादेश नहीं था। श्री मोदी ने कहा कि इसके बावजूद 1951 में बिना किसी निर्वाचित सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करते हुए संविधान में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह संविधान निर्माताओं का अपमान है, क्योंकि ऐसे मामलों का संविधान सभा में समाधान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जब अवसर मिला, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार किया, जो संविधान के निर्माताओं का गंभीर अपमान था। श्री मोदी ने कहा कि जो संविधान सभा में हासिल नहीं किया जा सका, उसे एक गैर-निर्वाचित प्रधानमंत्री ने पिछले दरवाजे से कर दिया, जोकि पाप था।

प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि 1971 में न्यायपालिका के पंख कतरकर संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। श्री मोदी ने कहा कि अदालतों की शक्तियों को खत्म करते हुए उक्त संशोधन में कहा गया कि संसद न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान के किसी भी अनुच्छेद को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि इससे तत्कालीन सरकार को मौलिक अधिकारों में कटौती करने और न्यायपालिका को नियंत्रित करने में मदद मिली।

श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान का दुरुपयोग किया गया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1975 में 39वां संशोधन पारित किया गया था, ताकि किसी भी अदालत को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभाध्यक्ष के चुनावों को चुनौती देने से रोका जा सके और इसे

पिछले कार्यों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।

आगे चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विचार पूरी तरह से लागू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, जिन्होंने एक अदालती मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाया था, को उनकी वरिष्ठता के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन था।

शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को याद करते हुए जिसने एक भारतीय महिला को संविधान की गरिमा और भावना के आधार पर न्याय प्रदान किया था, श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग महिला को उसका उचित हक दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान का सार की बलि चढ़ाते हुए इस भावना को त्याग दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए एक कानून पारित किया।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्: एक गैर-संवैधानिक इकाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने एक निर्वाचित सरकार और प्रधानमंत्री की कल्पना की थी। हालांकि, एक गैर-संवैधानिक इकाई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्, जिसने कोई शपथ नहीं ली, को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से ऊपर रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इकाई को पीएमओ से ऊपर एक अनौपचारिक दर्जा दिया गया था।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय संविधान के तहत, लोग सरकार चुनते हैं और उस सरकार का प्रमुख मंत्रिमंडल बनाता है। उस घटना को याद करते हुए जब कैबिनेट द्वारा लिए गए एक निर्णय को संविधान का अनादर करने वाले अहंकारी व्यक्तियों ने पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था, श्री मोदी ने कहा कि ये लोग आदतन संविधान के साथ खिलवाड़ करते थे और इसका सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि तत्कालीन कैबिनेट ने अपना निर्णय बदल दिया।

अनुच्छेद 35ए को संसदीय मंजूरी के बिना लगाया गया

श्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 तो सर्वविदित है, लेकिन अनुच्छेद 35ए के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 35ए को संसदीय मंजूरी के बिना लगाया गया था। संसदीय मंजूरी की मांग की जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के प्राथमिक संरक्षक संसद को दरकिनार कर दिया गया और देश पर अनुच्छेद 35ए थोप दिया गया, जिससे जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति खराब हो गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह संसद को अंधेरे में रखकर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान

श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अगले 10 वर्षों तक न तो यह काम शुरू किया गया और न ही इसकी अनुमति दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तो डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्होंने अलीपुर रोड पर डॉ. अम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया और काम पूरा किया।

इस बात को याद करते हुए कि 1992 में श्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में जनपथ के पास अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, श्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना 40 वर्षों तक कागज पर ही रही और कार्यान्वित नहीं की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2015 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तभी काम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां तक कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारतरत्न देने का काम भी आजादी के काफी समय बाद हुआ।

श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती को वैश्विक स्तर पर 120 देशों में मनाया गया और डॉ. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के दौरान डॉ. अम्बेडकर के जन्मस्थान महू में एक स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया।

समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी नेता के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत के विकास के लिए देश के किसी भी हिस्से को दुर्बल नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चिंता के कारण आरक्षण प्रणाली की स्थापना हुई। श्री मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में लगे लोगों ने आरक्षण प्रणाली के भीतर धार्मिक तुष्टीकरण की आड़ में विभिन्न उपायों को लागू करने का प्रयास किया, जिससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों को काफी नुकसान हुआ।

पिछली सरकारों ने आरक्षण का कड़ा विरोध किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने आरक्षण का कड़ा विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भारत में समानता और संतुलित विकास के लिए आरक्षण की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को दशकों तक लटकाया गया, जिससे ओबीसी के लिए आरक्षण में देरी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा

कि यदि आरक्षण पहले दिया गया होता, तो आज कई ओबीसी व्यक्ति विभिन्न पदों पर आसीन होते।

संविधान के निर्माण के दौरान आरक्षण को धर्म पर आधारित होना चाहिए या नहीं, इस पर हुई व्यापक चर्चा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने निष्कर्ष निकाला कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म या समुदाय के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था, कोई भूल नहीं। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने धर्म के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यान्वयन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे उपायों को रद्द कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का इरादा है, जो संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक बेशर्म प्रयास है।

डॉ. अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता की हिमायत की थी

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में चर्चा करते हुए जिसे संविधान सभा ने अनदेखा नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सभा ने यूसीसी पर व्यापक चर्चा की और फैसला किया कि निर्वाचित सरकार के लिए इसे लागू करना सबसे अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि यह संविधान सभा का निर्देश था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने यूसीसी की हिमायत की थी और उनके कथनों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की थी। संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी को उद्धृत करते हुए जिन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता के लिए आवश्यक है, श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया है और सरकारों को इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की भावना और इसके निर्माताओं के इरादों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अटलजी ने सौदेबाजी का विकल्प नहीं चुना

अतीत की एक घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि जो लोग अपनी ही पार्टी के संविधान का सम्मान नहीं करते वे देश के संविधान का सम्मान कैसे कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और राष्ट्रपति ने संविधान का सम्मान करते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, वह सरकार केवल 13 दिनों तक चली क्योंकि उन्होंने संविधान का सम्मान करना चुना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सौदेबाजी का विकल्प नहीं चुना, बल्कि संविधान का सम्मान किया और 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 1998 में एनडीए सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित वाजपेयी सरकार ने असंवैधानिक पदों को स्वीकार करने के बजाय एक वोट से हारना और इस्तीफा देना पसंद किया।

देशहित में संवैधानिक संशोधन

श्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद एनडीए को सेवा करने का अवसर मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश को पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने देश की एकता एवं अखंडता के लिए इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ संवैधानिक संशोधन भी किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ओबीसी समुदाय तीन दशकों से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहा था। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने यह दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया और ऐसा करने में उन्हें गर्व महसूस हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है, यही वजह है कि संवैधानिक संशोधन किया गया।

श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समाज का एक बड़ा वर्ग, चाहे जाति कोई भी हो, गरीबी के कारण अवसरों तक पहुंचने वंचित रह जाता है और प्रगति नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि इससे असंतोष बढ़ रहा था और मांगों के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देश में पहला आरक्षण संशोधन था जिसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, सभी ने प्यार से स्वीकार किया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, लेकिन ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की एकता के लिए संविधान में संशोधन किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 370 के कारण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता था, जबकि सरकार चाहती थी कि डॉ. अम्बेडकर का संविधान भारत के हर हिस्से में लागू हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान में संशोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटा दिया और अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।

अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने

संकट के समय पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की देखभाल के लिए विभाजन के समय महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए भी कानून बनाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने इस प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पेश किया और कहा कि वे गर्व से इस कानून का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह संविधान की भावना के अनुरूप है और राष्ट्र को मजबूत करता है।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समय बताएगा कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये संशोधन सत्ता के स्वार्थ से प्रेरित नहीं थे, बल्कि देशहित में पुण्य के कार्य थे।

'संविधान' भारत के लोगों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील

इस बात को इंगित करते हुए कि संविधान के संबंध में कई भाषण दिए गए हैं और कई विषय उठाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजनीतिक प्रेरणा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान भारत के लोगों 'वी द् पीपल' के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है और यह उनके हितों, गरिमा एवं कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करते हुए हमें एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

गरिमा के साथ जीवन

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई परिवारों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए शौचालय तक सुलभ नहीं था, श्री मोदी ने कहा कि शौचालय बनाने का अभियान गरीबों के लिए एक सपना था और उन्होंने इस काम को पूरे समर्पण के साथ हाथ में लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लाखों माताएं पारंपरिक स्टोव पर खाना बनाती हैं, जिसके धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो सैकड़ों सिगरेट के धुएं को अंदर लेने के बराबर है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इससे न केवल उनकी आंखों पर असर पड़ा, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी 2013 तक चर्चा इस बात पर थी कि नौ या छह सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, जबकि उनकी सरकार ने हर घर में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की, क्योंकि उन्होंने हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी।

आयुष्मान भारत योजना: 50-60 करोड़ नागरिकों का मुफ्त इलाज

स्वास्थ्य सेवा के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गरीबी से बचने एवं अपने बच्चों को शिक्षित करने तथा अपनी योजनाओं एवं प्रयासों को पूरा करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले एक गरीब परिवार को एक बीमारी बर्बाद कर सकती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने संविधान की भावना का सम्मान करते हुए 50-60 करोड़ नागरिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना समाज के किसी भी वर्ग के 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुनिश्चित करती है।

गरीबों को राशन

गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 25 करोड़ लोगों ने सफलतापूर्वक गरीबी को परास्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबी से उबरे हैं वे ही इस समर्थन के महत्व को समझते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिस तरह एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोबारा बीमारी से बचने के लिए देखभाल करने की सलाह दी जाती है, उसी तरह गरीबों को फिर से गरीबी में जाने से बचाने के लिए उनका समर्थन करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि वे मुफ्त राशन प्रदान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं वे फिर वापस न आएं और जो लोग अभी भी गरीबी में हैं उन्हें इससे ऊपर उठने में मदद करें।

50 करोड़ गरीब नागरिकों के बैंक खाते खुले

यह कहते हुए कि गरीबों के नाम पर केवल नारे लगाए गए और उनके नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2014 तक देश के 50 करोड़ नागरिकों ने कभी किसी बैंक के भीतर प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए बैंक खाते खोले हैं, इस प्रकार उनके लिए बैंकों के दरवाजे खुल गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'गरीबी हटाओ' का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया क्योंकि गरीबों को उनकी कठिनाइयों से मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मिशन और प्रतिबद्धता गरीबों को इन मुश्किलों से मुक्ति दिलाना है और वे इसे हासिल करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है।

वंचित वर्गों की चिंता

दिव्यांगों के संघर्षों के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बुनियादी ढांचा प्रदान किया है, जिससे उनकी व्हीलचेयर ट्रेन के डिब्बों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनकी चिंता से प्रेरित है।

श्री मोदी ने कहा कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों का कल्याण

सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उनकी भलाई के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की, क्योंकि ये लोग संविधान के तहत प्राथमिकता में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों, जो सुबह से रात तक अथक परिश्रम करते हैं, को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपनी गाड़ियां किराए पर लेना और उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की।

यह कहते हुए कि इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे विश्वकर्मा कारीगरों की सेवाओं की जरुरत नहीं पड़ती हो, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सदियों से एक महत्वपूर्ण प्रणाली मौजूद थी, लेकिन विश्वकर्मा कारीगरों के कल्याण पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्वकर्मा कारीगरों के कल्याण के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें बैंक ऋण, नए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और नवीन डिजाइन के प्रावधान शामिल हैं।

पीएम जन मन योजना

श्री मोदी ने सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों के विकास पर केन्द्रित पीएम जन मन योजना बनाने में मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि 60 वर्षों के दौरान 100 जिलों की पहचान पिछड़े के रूप में की गई और यह लेबल जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दंडात्मक पोस्टिंग बन गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने आकांक्षी जिलों की अवधारणा शुरू करके 40 मापदंडों की नियमित रूप से ऑनलाइन निगरानी करके इस स्थिति को बदल दिया है।

आदिवासी मंत्रालय का गठन

इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि आदिवासी समुदाय राम और कृष्ण के समय में भी अस्तित्व में था, लेकिन फिर भी आजादी के दशकों के बाद भी उनके लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने सबसे पहले आदिवासियों से जुड़े मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की थी और उनके विकास एवं प्रसार के लिए बजट आवंटित किया। मछुआरों के कल्याण के बारे में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहली बार उनकी सरकार ने मत्स्यपालन का एक अलग मंत्रालय बनाया और उनके कल्याण के लिए एक अलग बजट दिया गया। उन्होंने कहा कि समाज के इस वर्ग का ख्याल रखा गया है।

सहकारिता मंत्रालय का गठन

देश के छोटे किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। छोटे किसानों की चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को जिम्मेदार, मजबूत और सशक्त बनाकर छोटे किसानों के जीवन को ताकत देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। कुशल श्रमशक्ति के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया श्रमशक्ति के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमें देश में जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना है, तो हमारी यह श्रमशक्ति कुशल होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक अलग कौशल मंत्रालय बनाया गया, ताकि देश के युवा दुनिया की जरूरतों के मुताबिक तैयार हों और वे दुनिया के साथ आगे बढ़ें।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को वहां कम वोट या सीटें मिलने के कारण उपेक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि यह अटल जी की सरकार ही थी जिसने पहली बार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कल्याण के लिए डोनर मंत्रालय बनाया और आज उसके कारण रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे के निर्माण के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास देखा जा सकता है।

25 करोड़ लोगों को गरीबी से मिली मुक्ति

श्री मोदी ने कहा कि इन सभी कार्यों के कारण पिछले 10 वर्षों में किए गए प्रयासों से गरीबों को एक नया आत्मविश्वास मिला है और इतने कम समय में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए संभव हो सका, क्योंकि हम संविधान के निर्देशन में काम कर रहे हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राजनीतिक दलों को देश के युवाओं को आकर्षित करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और देश के युवाओं को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में लाना देश के लोकतंत्र की जरूरत है और दोहराया कि एक लाख ऐसे युवाओं को देश की राजनीति में लाया जाना चाहिए, जिनकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि न हो। श्री मोदी ने कहा कि देश को नई ऊर्जा और नए संकल्पों और सपनों के साथ आने वाले युवाओं की जरूरत है और जब हम भारत के संविधान के 75 साल का उत्सव मना रहे हैं, तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर इस संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो सबके प्रयास से हम लोग 'विकसित भारत' का सपना पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब 140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा होता है और देश संकल्प लेकर चलने लगता है तो इच्छित परिणाम मिलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनके मन में 140 करोड़ देशवासियों के प्रति अगाध सम्मान है, उनकी शक्ति पर उन्हें अगाध विश्वास है, उन्हें देश की युवा शक्ति पर, देश की नारी शक्ति पर अगाध विश्वास है। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तो उसे विकसित भारत के रूप में मनाएगा। ■

मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2024 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। उन्होंने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए संसद को धन्यवाद दिया। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

कुछ ही दिन बाद हम अपने गणतंत्र के 75 साल पूरे होते हुए देखेंगे। यह उत्सव एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। इससे आम नागरिक सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप दिखती है। हम सबको उसमें कमल की भी छाप दिखती है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि हम कीचड़ में से निकलकर नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

हमारा संविधान भी उस कमल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक ने आवाज़ उठाते हुए कहा कि एक देश में 'दो निशान, दो विधान और दो प्रधान' नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में धारा 35क लाई गई और संसद में कोई बहस किए बिना इस धारा को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई। भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए अनेक कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे।

आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है

जम्मू-कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया। उनको जम्मू-कश्मीर की नागरिकता तो दी गई, लेकिन उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था। वे कुछ और नहीं कर सकते थे। इस तरह से आजाद भारत में कानून का उल्लंघन हो रहा था। मैं इस संसद को धन्यवाद देता हूं कि उसने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है।

अभी अगले साल 25 जून को आपातकाल लगाए जाने के 50 साल हो जाएंगे, हम 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' मनाएंगे। हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। आपातकाल इसलिए नहीं लगा कि देश को कोई खतरा था, बल्कि इसलिए लगा कि सत्ताधारी दल की सत्ता को खतरा था और इस कारण 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति की सम्मति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति कारण बताते हुए मूल अधिकारों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में 22-22 महीने के लिए बंदी हुए।

अल्पसंख्यक तुष्टीकरण

मैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भी बात करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी को प्रगतिशील बताया गया, लेकिन वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद में संशोधन ले आए। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा था कि तीन तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, जबकि कई इस्लामी देशों में भी तीन तलाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूर-दृष्टि और पक्के इरादे से तीन तलाक को समाप्त किया गया और मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने का काम किया।

पं. नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की

कांग्रेस पार्टी ने न तो भू-क्षेत्रों को सौंपने के संदर्भ में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की है और न ही हमारे पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का मुकाबला किया है। 1949 में हमारी बहादुर सेना ने युद्ध के मैदान में सफलता हासिल की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम स्वीकार किया था। यही कारण है कि आज भी 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' मौजूद है। सभा यह भी जानती है कि चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने उसे 5,180 वर्ग किलोमीटर का अवैध हस्तांतरण किया था। चीन ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि श्री जवाहरलाल नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की और उन्हें कूटनीति की समझ नहीं थी।

जहां तक म्यांमार का सवाल है, 1950 के दशक में कोको द्वीप समूह पर हमारे नियंत्रण के हस्तांतरण की परिस्थितियां आज भी अस्पष्ट हैं। हमने 2008 से 2010 के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले घटनाक्रमों के बारे में लापरवाही का रिकॉर्ड भी देखा है। जब चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाया, तब हम चुपचाप देखते रहे। मालदीव में 2012 में एक भारत विरोधी आंदोलन के कारण प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निवेश बाहर हो गया। इसका भी कांग्रेस ने हमेशा विरोध नहीं किया। एक द्वीप है कच्चातीवू जो 1974 में श्रीलंका को सौंपे जाने से पहले तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इसे एकतरफा तौर पर श्रीलंका को दे दिया और यह हस्तांतरण भारत के संविधान में संशोधन किए बिना निष्पादित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठे।

इसी तरह, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16 मई, 1974 को भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 1974 से 2015 तक कोई अनुसमर्थन नहीं हुआ था। 2015 में सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया और क्षेत्रीय परिवर्तनों के अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमति बनी और संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया। मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के साथ विचार-विमर्श किया और उनमें से प्रत्येक की सहमति लेने के बाद भूमि सीमा समझौता किया गया और बांग्लादेश में लगभग 111 भारतीय इन्क्लेव और भारत में 51 बांग्लादेशी इन्क्लेव को पुनर्स्थापित किया गया और 50,000 की आबादी को समझौते के तहत लाया गया।

आप लोगों को जानना चाहिए कि संविधान सभा में जो लोग थे, जिन लोगों ने बाद में आकर देश को चलाया, उनके मन में आरक्षण के प्रति क्या भावना थी। संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अंतर क्यों किया? उनके दिमाग में कुछ था। आज हम उस अंतर को क्यों खो चुके हैं? मैं आपसे सहमत हूं, वास्तविकता यह है कि इस देश में जाति का बहुत महत्व है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है, तो आपका हर बड़ा कदम ऐसा होना चाहिए जिससे आप जातिविहीन समाज की ओर बढ़े। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। काका कालेलकर रिपोर्ट पर आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं सोचा। मंडल आयोग कौन लेकर आया? जनता पार्टी की सरकार इसे लेकर आई। राजीव गांधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया था। आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

अब अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा दिया गया। उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अगर में राजनीतिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक न्याय देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया।

जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकार देकर राजनीतिक न्याय देने का काम भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके हमारी सरकार द्वारा किया गया।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करके महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया। हमने ट्रिपल तलाक का उन्मूलन करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का प्रयास भी किया। अगर मैं आर्थिक न्याय की बात करूं, तो मुद्रा योजना, जन-धन खाते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के जरिए आर्थिक न्याय दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत 61 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ■

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करके महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया। हमने ट्रिपल तलाक का उन्मूलन करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का प्रयास भी किया

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, "हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम भारत के संविधान के 'अमृत महोत्सव' के साक्षी बन रहे हैं।" उन्होंने भारत की स्वतंत्रता एवं भारत के संविधान के निर्माण से जुड़ी सभी महान हस्तियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। हम यहां अपने सुधी पाठकों के लिए श्री राजनाथ सिंह के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे है। 75 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य सम्पन्न किया गया था। लगभग 3 वर्षों की जोरदार बहस और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था।

हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही लोगों के लिए मोरल ट्रेजेक्टरी यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के साथ ही राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। यह संविधान नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का भी सिस्टम प्रदान करता है, जिससे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर सके।

हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है

हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है। यह ऐतिहासिक घटनाक्रमों की शृंखला का परिणाम है। कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वकालत की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। हमारा संविधान संवैधानिक तंत्र के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ काम कर रही है। मौजूदा सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संविधान प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। मौजूदा सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके 'भारत न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' जैसे नये कानूनों को पारित किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के समुचित विकास को अपना लक्ष्य बनाया है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदशों के अनुरूप महिला और महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया है। इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तीकरण भी सुनिश्चित होगा। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार ने संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी लागू किया है।

संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि

मैं इस अवसर पर संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की भी सराहना करना चाहता हूं। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ

शेष पृष्ठ 18 पर...

मोदी सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाकर मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2024 को संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस दौरान श्री शाह ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को रेखांकित किया। हम यहां अपने सुधी पाठकों के लिए श्री शाह के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:

चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ये चर्चा एक ओर जनता को ये अहसास कराएगी कि संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा और दूसरी ओर संविधान की मूल भावना के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने का अहसास भी कराएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये भी अहसास होता है कि जब संविधान की भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ का प्रयास करता है तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। श्री शाह ने कहा कि संविधान पर दोनों सदनों में हुई चर्चा हमारे किशोरों और युवा पीढ़ी के साथ-साथ संसद में बैठकर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए शिक्षाप्रद साबित होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारा संविधान, संविधान सभा और संविधान की रचना की प्रक्रिया दुनिया के सभी संविधानों में अनूठी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां दुनिया का सबसे ज़्यादा विस्तृत और लिखित संविधान, चर्चा के हमारे पारंपरिक लक्षणों के साथ बनाया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में भगवान राम, बुद्ध और महावीर, दसवें गुरू गोविंद सिंह के भी चित्र मिलेंगे। इसके साथ-साथ गुरुकुल के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है। इसी प्रकार, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता के संदेश के चित्र, शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई को भी संविधान में स्थान देकर देशभक्ति का पाठ हमें सिखाया गया है।

विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए

श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है और समय के साथ देश, कानून और समाज को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ने 16 साल राज किया, 6 साल अटल जी ने, 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और 5 साल और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 22 बार संविधान में परिवर्तन किए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहला संशोधन 18 जून, 1951 को हुआ जिसे संविधान सभा ने ही किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में 19ए को जोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या था और इसे किस लिए जोड़ा गया? श्री शाह ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को curtail करने लिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन किसने किया, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे। उन्होंने कहा कि पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए लाया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था।

श्री शाह ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की पार्टी 5 नवंबर, 1971 को लाई थी। उन्होंने कहा कि 24वें संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। श्री शाह ने कहा कि 39वें संविधान संशोधन ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त, 1975 का वह दिन हमारे संविधान के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। श्री शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन retrospective effect से किया गया था, यानी पुराना मुकदमा भी है तो वह खारिज हो जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही 42वां संविधान संशोधन लेकर आईं थी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 साल कर दिया गया था। श्री शाह ने कहा कि ऐसा इसी भय से किया था कि उस वक्त चुनाव होते तो वे हार जाते, इसीलिए लोकसभा के कार्यकाल को ही लंबा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।

देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार अपना पहला और 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई, 2017 को लाई जब देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले इस विशाल देश को जीएसटी के तहत लोगों की परेशानी को खत्म कर एक कानून लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने लोगों की भलाई के लिए किया।

श्री शाह ने कहा कि हम दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तीसरा संशोधन 12 जनवरी, 2019 को लाई जिसके तहत किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा न पाने वाली गरीब जाति के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया।

श्री शाह ने कहा कि पहले ओबीसी की पहचान करने के लिए केन्द्र के पास अधिकार थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 अगस्त, 2021 को लाए गए 105वें संशोधन के बाद पिछड़ेपन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा मोदी सरकार का चौथा और कुल 106वां संविधान संशोधन 28 दिसंबर, 2023 को लाया गया था।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि दोनो सदनों में 33 प्रतिशत नारी शक्ति की उपस्थिति होने से संविधान निर्माताओं का सपना पूरा हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब महू में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। उन्होंने कहा कि हमने 14 अप्रैल को 'राष्ट्रीय समरसता दिवस' घोषित किया। श्री शाह ने कहा कि धारा 370 के एक टेंपरेरी प्रोविजन को अपनी गोद में 70 साल तक विपक्षी पार्टी ने खिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए और जब श्री नरेन्द्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक ही बार में 370 और 35A को समाप्त कर दिया। ■

पृष्ठ 16 का शेष भाग...

है। संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक जीवंत दस्तावेज दिया है जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आग बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर सहित अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया था।

वर्तमान सरकार ने पिछले दस वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था, लोगों का सशक्तीकरण था। चाहे वह अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना हो या महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण हो या जीएसटी कानून हो, यह कार्य संघवाद के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने के हमारे प्रयास को दर्शाता है।

कांग्रेस ने किया संविधान बदलने का प्रयास

आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि धीरे-धीरे संविधान को बदलने का प्रयास भी किया है। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का भरसक प्रयास नहीं था? जैसाकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोक सभा कार्यकाल भी बढ़ाकर छह साल कर दिया गया। 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है।

हमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने उसमें कहा था कि जिन लोगों पर देश चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका सकारात्मक हो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देगी। ■

संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा

'आज का भारत' अपने आप में एक अलग पहचान रखता है: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्यसभा में आयोजित चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि समय के साथ विभिन्न संशोधन होने के बावजूद हमारा संविधान अभी भी मजबूत है। प्रस्तुत है उनके भाषण के प्रमुख अंशः

संविधान सभा के 389 सदस्यों, विशेषकर 15 महिला सदस्यों ने तीन वर्ष से भी कम समय में एक साथ कठिन चुनौती स्वीकार की और अत्यंत चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत के लिए संविधान तैयार किया, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जैसाकि हम अपने संविधान के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, यह समय भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का है, जो इस पवित्र दस्तावेज में निहित भावना को बनाए रखेगा। भारत का संविधान और 'आज का भारत' अपने आप में एक अलग पहचान रखता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया

मैं 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम पर बात करना चाहूंगी। जब यह अधिनियम पारित हुआ, उस समय भारत सरकार की कोई निर्वाचित सरकार नहीं, बल्कि एक अंतरिम सरकार थी। संविधान लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही इसे अधिनियमित कर दिया गया था। एक लोकतांत्रिक देश ने, जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, पहला संविधान संशोधन देखा जिसे भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का सिलसिला 1949 से पहले भी चला और उसके बाद भी चलता रहा। उच्चतम न्यायालय में मामले के लंबित रहने के दौरान 1975 में 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसमें कहा गया, 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसा केवल संसदीय समिति के समक्ष ही किया जा सकता है।' 1976 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम को अपनी स्वीकृति दी थी। आपातकाल के दौरान जब बिना किसी उचित कारण के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और उस बढ़ाए गए कार्यकाल में पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया।

कांग्रेस ने कभी भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित होने से रोका गया। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया, लेकिन न तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और न ही श्री राजीव गांधी ने इसकी सिफारिशों को लागू किया। एक और उदाहरण जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का है, जिन्हें 2017 में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा आगे लाने से पहले कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। वर्ष 2000 में राजग शासन के दौरान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम जीएसटी लाने का सुझाव दिया था। हालांकि, उनके द्वारा किए गए ईमानदार प्रयास उस समय साकार नहीं हो सके और उनके कार्यकाल के बाद के यूपीए शासित दस वर्षों में इसे लागू करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया। संसद में जीएसटी पेश किए जाने के दो वर्षों के भीतर जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 15 से अधिक राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

अब तक 54 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं

जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 तक 60 प्रतिशत से भी कम भारतीय परिवारों के पास बैंकिंग सेवा तक पहुंच थी। इसके विपरीत, 2014 से अब तक 54 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत 50 करोड़ खातों में से 68 प्रतिशत महिलाओं के हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत एक करोड़ एससी/एसटी महिलाओं को ऋण सुविधा दी गई है और 2.5 लाख लोगों को 30,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनमें से 76 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 67 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 50 हजार रुपये का ऋण दिया गया है, जिनमें से 45 प्रतिशत महिलाएं हैं और 42 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी लाकर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया कि लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचेगा। एक रुपया यानी पूरा एक रुपया उनके पास पहुंचेगा और इससे करदाताओं का 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है। ■

विशाल 'जनादेश परब' जनसभा, छत्तीसगढ़

भाजपा सत्ता का उपयोग जनसेवा के लिए, जबकि कांग्रेस उपभोग के लिए करती है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 13 दिसंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित विशाल 'जनादेश परब' जनसभा को संबोधित किया और इसके पश्चात् नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय 'स्मृति भवन' का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर विष्णुदेव साय सरकार की प्रशंसा करते हुए विकास कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर काम कर रही है और आने वाले वर्षों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप-मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज पांडे, सुश्री लता उसेंडी, विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी एवं बिहार सरकार में मंत्री श्री नितिन नबीन समेत अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

भाजपा ने अपने सभी वादों को पूरा किया है

श्री नड्डा ने कहा कि आज से एक वर्ष पूर्व, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी थी। यह एक गर्व का अवसर है कि हम एक साल बाद फिर से एकत्रित होकर इस अवधि में हुए विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा ने अपने सभी वादों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के शासन में अंतर स्पष्ट है। पांच वर्ष पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आकर जनता को झूठे वादे करते हुए कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही जनता के 1,2,3 गिनते ही महिलाओं के खातों में 72,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया और राज्य को पांच वर्षों तक अंधकार में रखा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और श्री विष्णु देव साय पर विश्वास जताया। भाजपा सरकार ने आते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू किया और महतारी वंदन योजना की पहली किश्त देने की तैयारी की। यही अंधकार और उजाले का फर्क है। जनता को उजाले को बनाए रखना चाहिए ताकि अंधकार फिर से न लौटे। भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत, नेतृत्व और पार्टी एवं सरकार के कार्यक्रम साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। भाजपा सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए करती है, जबकि कांग्रेस सत्ता का उपयोग उपभोग करने के लिए करती है। भाजपा जनता के लिए संघर्ष करती है, जबकि कांग्रेस जनता को धोखा देकर अपने घर भागती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अपराधीकरण, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और 'फूट डालो, राज करो' की नीति पर आधारित थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश में राजनीति की एक नई संस्कृति विकासवाद की शुरुआत की है।

कांग्रेस पार्टी जनता को बरगला रही है कि महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, लेकिन भाजपा यह विश्वास दिलाती है कि 'महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी', लेकिन कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। महतारी वंदन योजना तो बंद नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा

उन्होंने कहा कि भाजपा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए आज कृषि उन्नति योजना में लगभग 24 लाख 75 हजार लोगों को 3100 रुपये धान खरीदी के दिए जा रहे हैं। इसी तरह से किसानों का बीते दो साल का हक 3716 करोड़ रुपये जो भूपेश बघेल डकार गए थे, वो किसानों को दिया जा रहा है। दलित

और आदिवासी भाइयों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि तेंदु पत्ते इकट्ठे करने वाले 14 लाख आदिवासी भाइयों को मिलने वाले पैसे को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति बोरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी जनता को बरगला रही है कि महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, लेकिन भाजपा यह विश्वास दिलाती है कि 'महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी', लेकिन कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। महतारी वंदन योजना तो बंद नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आज नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षा की व्यवस्था की गई है। भूपेश बघेल के जिन साथियों ने भ्रष्टाचार किया था उनके खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है। आज 7 हजार नई नौकरियों के लिए आवेदन मंगवाया जा रहा है, उसमें भी 5 वर्ष की उम्र की छूट दी जा रही है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के लिए 2044 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, 18 लाख लोगों के लिए ग्रामीण आवासों की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को आयुष्मान वय वंदन योजना लागू की, जिसके तहत लगभग 50,000 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, आय और वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के अंतिम सांस तक 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। पूरे देश में 6 करोड़ बुजुर्गों को यह कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 50,000 कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

नक्सलवाद को करारा जवाब

श्री नड्डा ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण शाम 4 बजे के बाद निकलना खतरे से खाली नहीं होता था, लेकिन अब राज्य में भाजपा सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद को करारा जवाब दिया गया है। 1500 से अधिक नक्सली या तो गिरफ्तार किए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की बदौलत 222 नक्सलियों को मार गिराया गया है।

छत्तीसगढ़ विकास की राह पर अग्रसर

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब छत्तीसगढ़ भी श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास की राह पर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ में अन्न योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से भी कम रह गई है और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में पांच गुना और अनुदान सहायता में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों को विकास और कल्याण का लाभ दे रही है। स्मार्ट सिटी, अटल नगर, बिलासपुर, या रायपुर जैसे स्थानों पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रेलवे का बजट नौ गुना बढ़ाया गया है और डबल इंजन सरकार ने राज्य को 5 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं। आईआईटी भिलाई के परिसर का उद्घाटन किया गया है और राजनांदगांव में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाई जा रही है। 3000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। बस्तर और बिलासपुर में दो नए हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में श्री विष्णुदेव साय सरकार ने 'जो कहा था वो किया है, और जो नहीं कहा था वो भी किया है।' प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

कार्यकर्ताओं को संस्कार देने में कार्यालय की बड़ी भूमिका

स्मृति मंदिर के लोकार्पण पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि स्मृति भवन आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित करेंगी और उनको नई ऊर्जा देगी। कार्यालय महज कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता निर्माण का जीवंत संपर्क स्थान होता है और कार्यकर्ताओं को संस्कार देने में कार्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस मंदिर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राजपरिवार से आकर महिला सशक्तीकरण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने वाली राजमाता सिंधिया जी की मूर्ति लगाई है, ऋषि दधीचि की तरह संगठन की रचना करने वाले श्री कुशाभाऊ ठाकरे और भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज में प्रतिस्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मूर्ति लगाई गई है।

श्री नड्डा ने कहा कि आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र दिया है, उसी को सबका साथ, सबका विकास के मंत्र में ढालकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। अब आप इस विचारधारा के साथ नई ऊर्जा, ताकत और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। ■

आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र दिया है, उसी को सबका साथ, सबका विकास के मंत्र में ढालकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया है

एक राष्ट्र, एक चुनाव

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल-फूल रहा है और नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है

भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है, जिसके लिए गहन विचार-विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नई नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही।

हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।

एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति

भारत सरकार ने 2 सितंबर, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। समिति ने इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगीं और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षों, संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासन, संसाधनों तथा जन-मानस पर एक साथ चुनाव के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष

1. **जनता की प्रतिक्रिया:** समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। प्रतिक्रियाएं देश के सभी कोनों से आईं, जिनमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं।
2. **राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं:** 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं।
3. **विशेषज्ञ परामर्श:** समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि-विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकाधिक लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया और बार-बार चुनाव कराने से संसाधनों की बर्बादी तथा सामाजिक-

आर्थिक बाधाओं पर ज़ोर दिया।

4. **आर्थिक प्रभाव:** सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने बार-बार चुनाव से जुड़ी समस्याओं और खर्च में कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।
5. **कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण:** समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।
6. **कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण:** समिति ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है:
   - ✦ **चरण 1:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।
   - ✦ **चरण 2:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना।
7. **मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक साथ बनाने की प्रक्रिया:** समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल ईपीआईसी बनाने की सिफारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगी, मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।
8. **बार-बार चुनाव के बारे में जन-भावना:** जनता की प्रतिक्रियाओं से बार-बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मतदाताओं में थकावट और शासन में व्यवधान के बारे में उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला। एक साथ चुनाव होने से इनमें कमी आने की उम्मीद है।

एक साथ चुनाव कराने का औचित्य

पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित निम्नांकित बिंदु द्रष्टव्य हैं:

शासन में निरंतरता को बढ़ावा: देश के विभिन्न भागों में चल रहे चुनावों के कारण, राजनीतिक दल, उनके नेता, विधायक तथा राज्य और केंद्र सरकारें अक्सर शासन को प्राथमिकता देने के बजाय आगामी चुनावों की तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।

नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी: चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास संबंधी पहल बाधित होती हैं। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है, बल्कि शासन संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगी, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी।

संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा: चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती, जैसेकि मतदान अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को उनकी मूल जिम्मेदारियों से हटाकर चुनाव कार्यों में लगाना संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से बार-बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाएं चुनाव-संबंधी कार्यों के बजाय अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी: एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नहीं होती। वास्तव में यह चुनावों के दौरान उनकी अधिक स्थानीयकृत और केंद्रित भूमिका को प्रोत्साहित करता है। इससे क्षेत्रीय दल अपनी अहम चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर कर पाते हैं। यह व्यवस्था एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाती है जिसमें स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है।

राजनीतिक अवसरों में वृद्धि: एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों में अवसरों और जिम्मेदारियों का न्यायोचित तरीके से आवंटन होता है। वर्तमान में किसी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का चुनावी परिदृश्य पर हावी होना, कई स्तरों पर चुनाव लड़ना और प्रमुख पदों पर एकाधिकार असामान्य नहीं है। एक साथ चुनाव के परिदृश्य में, विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच विविधता और समावेशिता की अधिक गुंजाइश होती है, जिससे नेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर कर सामने आती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम योगदान देती है।

शासन पर ध्यान: देश भर में चल रहे चुनावों का चल रहा चक्र सुशासन से ध्यान भटकाता है। राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे विकास और आवश्यक शासन के लिए कम समय बचता है। एक साथ चुनाव पार्टियों को मतदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने की अनुमति देते हैं, जिससे संघर्ष और आक्रामक प्रचार की घटनाओं में कमी आती है।

वित्तीय बोझ में कमी: एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव के लिए मानव-शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा संबंधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित व्यय को घटाता है। इससे होने वाले आर्थिक लाभों में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैं, जो आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। ■

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए मार्च, 2018 के 14.58 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर सितंबर, 2024 में 3.12 प्रतिशत हुआ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2023-24 के दौरान 1.41 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया; मार्च-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अग्रिम 175 लाख करोड़ रुपये रहा

वर्ष 2015 से सरकार ने एनपीए को पारदर्शी तरीके से पहचानने, समाधान और वसूली, पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण और पीएसबी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार की व्यापक 4आर रणनीति को लागू किया है और सरकार के व्यापक नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप पीएसबी सहित बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सेहत और मजबूती में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च, 2015 के 4.97 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2024 में 3.12 प्रतिशत हो गया तथा मार्च, 2018 के 14.58 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर सितम्बर, 2024 में 3.12 प्रतिशत हो गया।

पूंजी पर्याप्तता में सुधार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर 393 आधार अंकों से सुधरकर मार्च, 2015 के 11.45 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर, 2024 में 15.43 प्रतिशत पर पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के मुकाबले 1.41 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया है और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 0.86 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 61,964 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है।

वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश के कोने-कोने तक अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। उनका पूंजी आधार मजबूत हुआ है और उनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब वे सरकार पर निर्भर रहने के बजाय बाजार में जाकर पूंजी प्राप्त करने में सक्षम हैं ।

देश में वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने के लिए 54 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और विभिन्न प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं (पीएम मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम-स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा) के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं और पीएम-स्वनिधि योजना के तहत 44 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।

बैंक शाखाओं की संख्या मार्च, 2014 में 1,17,990 से बढ़कर सितम्बर, 2024 में 1,60,501 हो गई; 1,60,501 शाखाओं में से 1,00,686 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी (आरयूएसयू) क्षेत्रों में हैं।

केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराना है। सितंबर, 2024 तक कुल चालू केसीसी खातों की संख्या 7.71 करोड़ थी, जिनका कुल बकाया 9.88 लाख करोड़ रुपये था।

भारत सरकार (जीओआई) ने विभिन्न पहलों के माध्यम से किफायती दरों पर ऋण प्रवाह के मामले में एमएसएमई क्षेत्र को लगातार समर्थन दिया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एमएसएमई अग्रिमों ने 15 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की। 31.03.2024 तक कुल एमएसएमई अग्रिम 28.04 लाख करोड़ रुपये था, जो 17.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अग्रिम 2004-2014 के दौरान 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 61 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो मार्च, 2024 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 175 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ■

97.48% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा

स्वच्छ विद्यालय मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए कम से कम एक कार्यात्मक शौचालय हो। UDISE+2021-22 के अनुसार 97.48% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा है और 98.2% सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने 18 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

संतृप्ति दृष्टिकोण के माध्यम से 11.64 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण के माध्यम से सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच, 15.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच और 10.3 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सुरक्षित जल और स्वच्छता महिलाओं की गतिशीलता और विकास में बाधा नहीं बनती। इसने महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आशंकित खतरों को समाप्त कर दिया है और उनकी गरीबी और देखभाल के बोझ को कम कर दिया है, जिसका उपयोग वे उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कर सकती हैं। ■

भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं जारी हैं

वर्तमान में देश में लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें निर्माणाधीन हैं। पहला प्रोटोटाइप निर्मित हो चुका है और इसका फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा, 200 वंदे भारत स्लीपर रेक के निर्माण का काम भी प्रौद्योगिकी भागीदारों को सौंपा गया है। सभी रेलगाड़ियों के उपयोग में आने की समय-सीमा उनके सफल परीक्षणों पर निर्भर है। 2 दिसंबर, 2024 तक देश भर में छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत रेलगाड़ी सेवाएं जारी हैं।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 18 दिसंबर को लोकसभा में एक वक्तव्य में कहा कि विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर वर्तमान में चेयर कार वाली 136 वंदे भारत रेल सेवाएं जारी हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयां अप्रैल, 2018 से केवल एलएचबी कोच बना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में एलएचबी कोच का उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2014-24 के दौरान निर्मित एलएचबी कोच की संख्या 2004-14 के दौरान निर्मित (2,337) संख्या से 16 गुना (36,933) अधिक है। भारतीय रेल (आईआर) ने एलएचबी कोचों की भरमार कर दी है जो तकनीकी रूप से बेहतर हैं और इनमें एंटी क्लाइम्बिंग व्यवस्था, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन और कम संक्षारक शेल जैसी विशेषताएं हैं।

'सुगम्य भारत मिशन' (सुलभ भारत अभियान) के हिस्से के रूप में भारतीय रेल दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रैंप, सुलभ पार्किंग, ब्रेल और स्पर्शनीय संकेत, कम ऊंचाई वाले काउंटर और लिफ्ट/एस्कलेटर जैसी व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नवंबर, 2024 तक भारतीय रेल ने 399 स्टेशनों पर 1,512 एस्कलेटर और 609 स्टेशनों पर 1,607 लिफ्टें स्थापित की थीं जो पिछले दशक की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है— क्रमशः 9 और 14 गुना की वृद्धि। इसके अलावा, अधिकांश मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में चौड़े प्रवेश द्वार, सुलभ शौचालय और व्हीलचेयर पार्किंग वाले कोच उपलब्ध हैं, जबकि वंदे भारत रेलगाड़ियां दिव्यांगजनों के लिए स्वचालित दरवाजे, निर्धारित स्थान और ब्रेल साइनेज जैसी सुविधाओं के साथ बेहतर सुगमता प्रदान करती हैं। ■

मातृ मृत्यु दर 2017-2019 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई

शिशु मृत्यु दर 2018 में 32 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 28 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं वर्तमान उपलब्धियों की यह जानकारी दी, जो निम्न हैं:

मातृ मृत्यु दर 2017-2019 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2018-20 में 97 प्रति 100,000 जीवित जन्म (वर्ष 2020 तक 100 के लक्ष्य के मुकाबले), शिशु मृत्यु दर 2018 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 32 से घटकर 2020 में 28 प्रति 1000 जीवित जन्म (वर्ष 2019 तक 28 के लक्ष्य के मुकाबले) और एनएफएचएस-4 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर एनएफएचएस-5 के अनुसार 2019-21 में 2.0 (वर्ष 2025 तक 2.1 के लक्ष्य के मुकाबले)।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वंचित ग्रामीण परिवारों एवं शहरी श्रमिक परिवारों की पहचान की गई व्यावसायिक श्रेणियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीएमजेएवाई डैशबोर्ड के अनुसार दिनांक 12.12.2024 तक ऐसे लाभार्थियों के लिए 36.16 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 29.87 करोड़ कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए बनाए गए हैं। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष (एक परिवार के लिए एक ही प्रीमियम) 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) हैं। एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने वाले सभी लोगों को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ■

मोदी स्टोरी

नरेन्द्र मोदी ने पैसे बचाने के लिए अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस से यात्रा की

—डॉ. वासुदेव पटेल, एनआरआई- अमेरिका

तीन दशक पहले श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा नेता के रूप में अमेरिका का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और अपने खर्च को सीमित रखते हुए अमेरिका के विभिन्न राज्यों का दौरा किया।

अमेरिका एक बड़ा देश है और यहां लंबी दूरी की यात्राएं आम बात हैं। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो की दूरी लगभग 4,500 किमी है। श्री मोदी को अक्सर लोगों से मिलने के लिए दूर-दूर तक यात्रा करनी होती थी, लेकिन एक समस्या भी थी— उनके पास इतनी लंबी यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।

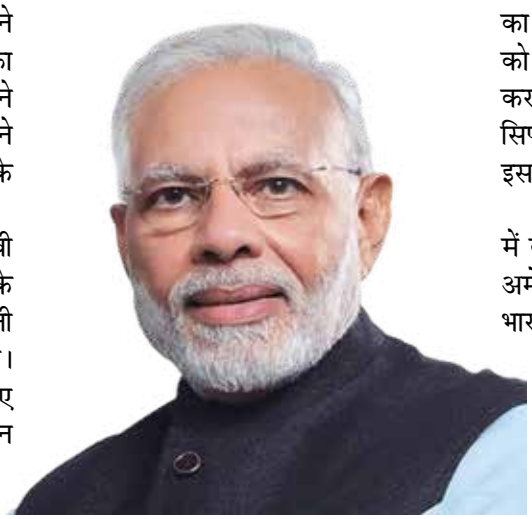

इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और इस समस्या का समाधान खोजते हुए उन्होंने डेल्टा एयरलाइंस की मासिक पास योजना का सहारा लिया। इस योजना के तहत यात्री को सीमित सामान ले जाने और सीट चयन करने की अनुमति नहीं होती थी। श्री मोदी ने सिर्फ एक बैग और दो जोड़ी कपड़ों के साथ इस सस्ती योजना का लाभ उठाया।

डेल्टा पास के साथ उन्होंने एक महीने में कई राज्यों की यात्रा की। उनका मिशन अमेरिका में भारतीयों से मिलना और उन्हें भारत की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अपने होटल के खर्च को बचाने के लिए श्री मोदी अक्सर देर रात की उड़ानें लेते थे। वह विमान में सोते थे और दिन भर लोगों से मिलते रहते थे। यहां तक कि उन्होंने कई रातें हवाई अड्डों पर बिताने के लिए लम्बी अवधि के ठहराव वाली उड़ानों को भी चुना। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

ए.के. लिंगावेलु

श्री ए.के. लिंगावेलु साल 1939 में रोजगार की तलाश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आए, वह तब 12 वर्ष के थे। यहां उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में अपने चाचा की दुकान पर काम करना शुरू किया। इस दौरान वह हिंदुत्व की विचारधारा से आकर्षित हुए और उनका जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद् से हुआ।

एक समय था, जब कांग्रेस के डर के कारण कोई भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भाजपा का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान श्री लिंगावेलु ने वर्ष 1990 में भाजपा के संस्थापक-अध्यक्ष दयित्व ग्रहण करने का साहस दिखाया। उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, श्री लिंगावेलु ने अंडमान द्वीप समूह में भाजपा को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखा। ■

श्री ए.के. लिंगावेलु
जन्म: 03 अप्रैल, 1927
सक्रिय वर्ष: 1990-1996
जिला: पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

आज केंद्र और राज्य की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम 'एक वर्ष–परिणाम उत्कर्ष' में भाग लिया। उन्होंने राजस्थान सरकार और राज्य की जनता को प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई देते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम में आए लाखों लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए भाग्यशाली हैं। श्री मोदी ने राजस्थान के विकास कार्यों को नई दिशा और गति देने के लिए किए गए प्रयासों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि आगामी कई वर्षों के विकास के लिए पहला वर्ष एक मजबूत नींव के रूप में कार्य करता है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम न केवल सरकार के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, बल्कि यह राजस्थान की चमक और राजस्थान के विकास के उत्सव का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान में पानी के क्षेत्र में आ रही बाधाओं का उचित समाधान प्रदान करेंगी और राजस्थान को भारत के सबसे बेहतर संपर्क वाले राज्यों में से एक बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले इन विकास कार्यों से अधिक निवेशक आकर्षित होंगे, रोजगार के असीमित अवसर पैदा होंगे, पर्यटन क्षेत्र मजबूत होगा और राजस्थान के किसानों, महिलाओं तथा युवाओं को लाभ होगा।

श्री मोदी ने कहा, "आज केंद्र और राज्य की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं।" उन्होंने कहा कि उनकी सरकारें उनके द्वारा किए गए संकल्पों की पूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

श्री मोदी ने कहा, "21वीं सदी के भारत के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है।" महिलाओं की ताकत स्वयं सहायता समूह आंदोलन में स्पष्ट है, पिछले एक दशक में राजस्थान की लाखों महिलाओं सहित देश भर में 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई नई योजनाओं का जिक्र करते हुए 'नमो ड्रोन दीदी' योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत हजारों महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

श्री मोदी ने महिलाओं के लिए हाल ही में शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण योजना - बीमा सखी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गांवों में महिलाएं और बेटियां बीमा कार्य में शामिल होंगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं और यह इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है।" श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सौर ऊर्जा को बिजली बिलों को शून्य करने का साधन बनाया है।

श्री मोदी ने कहा, "हम राजस्थान को सड़क, रेल और हवाई यात्रा के मामले में सबसे अधिक संपर्क युक्त (कनेक्टेड) राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान में आधुनिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास एक विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान देंगे, जिससे भारत के विकास में तेजी आएगी। श्री मोदी ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में केंद्र और राज्य की सरकारें और अधिक गति से काम करेंगी।

मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित 46,300 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
- इन 10 वर्षों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने, उनके जीवन से कठिनाइयां कम करने पर बहुत ध्यान दिया है
- हम समाधान प्रदान करने में विरोध नहीं, बल्कि सहयोग में विश्वास करते हैं
- मैं वो दिन देख रहा हूं जब राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी, राज्य में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा
- जल संसाधनों का संरक्षण, पानी की हर बूंद का उपयोग करना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है
- राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, यह इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है ■

रण उत्सव – प्रकृति, परंपरा और प्राचीनता का उत्सव

- कच्छ का सफेद रण आपको आमंत्रित कर रहा है।
- कच्छ के इस उत्सव पर्व से जुड़कर एक नए अनुभव के साक्षी बनिए।
- और रण के इस उत्सव में प्रकृति, परंपरा और प्राचीनता के रंगों को जीवन का हिस्सा बनाइए।

नरेन्द्र मोदी

भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित कच्छ, विरासत और बहुसंस्कृति की भूमि है। कच्छ का सफेद रण और इसकी जीवंतता किसी का भी मन मोह लेती है। चांदनी रात में कच्छ के इस रण का अनुभव और अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। कच्छ की ये धरती जितनी सुंदर है, इसकी कला और शिल्प भी उतना ही विशेष है।

कच्छ के लोगों का आतिथ्य भाव तो सारी दुनिया जानती है। हर वर्ष लाखों पर्यटक इस धरती पर आते हैं और कच्छ के लोग उतने ही उत्साह से उनका स्वागत करते हैं। अतिथियों के सम्मान और उनके अनुभवों को संवारने के लिए कच्छ का हर परिवार पूरे आदर भाव से काम करता है। रण उत्सव, कच्छ की इसी आतिथ्य परंपरा और स्थानीय कला का उत्सव है। इस जीवंत उत्सव में हमें इस क्षेत्र की अनोखी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय जनभावनाओं और कलाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।

इस पोस्ट के माध्यम से मैं विश्व भर के अतिथियों को रण उत्सव 2024-25 के लिए व्यक्तिगत आमंत्रण दे रहा हूं। आप सब अपने परिवार के साथ यहां आएं, यहां की संस्कृति और अनुभवों से जुड़ें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस बार रण उत्सव 1 दिसंबर, 2024 से लेकर 28 फरवरी, 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसके अलावा रण की टेंट सिटी मार्च, 2025 तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।

ये टेंट सिटी आपको कच्छ के अनुभवों से, यहां के विराट आतिथ्य से, भारत की संस्कृति से और प्रकृति के नए अनुभवों से जोड़ेगी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, कच्छ के रण उत्सव का अनुभव आपके जीवन का सबसे अलौकिक और अविस्मरणीय अनुभव बनेगा।

कच्छ की इस टेंट सिटी में पर्यटकों के अनुरूप अनेक सुविधाओं को शामिल किया गया है। जो लोग रिलेक्स करने के लिए यहां आ रहे हैं, उन्हें यहां एक अलग अनुभव मिलेगा। संस्कृति और इतिहास के नए रंगों को खोज रहे लोगों के लिए, रण उत्सव एक इंद्रधनुष जैसा होगा।

देखिए, रण उत्सव की गतिविधियों का आनंद लेने के अलावा आप यहां और क्या-क्या कर सकते हैं:

सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा भारत का गौरव स्थल धोलावीरा यहीं पास में स्थित है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आपको भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

जिन लोगों को प्रकृति और स्थापत्य कला से प्रेम हो, उनके लिए काला डूंगर का विजय विलास पैलेस एक अद्भुत अनुभव का स्थान होगा।

सफेद नमक के मैदानों से घिरी रोड टू हैवन, अपने मनोरम दृश्यों से हर पर्यटक का मन मोह लेती है। 30 किलोमीटर लंबी ये

सड़क खावड़ा और धोलावीरा को आपस में जोड़ती है और इसपर यात्रा करना बहुत ही खास अनुभव होता है।

18वीं शताब्दी का लखपत फोर्ट हमें प्राचीन भारत के गौरव से जोड़ता है।

माता नो मढ़ आशापुरा मंदिर कच्छ की धरती पर हमारी आध्यात्मिक चेतना का शक्ति तीर्थ बन जाता है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक और क्रांति तीर्थ पर श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ सकते हैं।

इन सब के साथ रण उत्सव कच्छ की इस यात्रा में आप हस्तशिल्प के एक अद्भुत संसार से जुड़ सकते हैं। इस हस्तशिल्प मेले में हर उत्पाद की एक अलग पहचान है। ये उत्पाद कच्छ के लोगों की कलाओं से पूरी दुनिया को जोड़ते हैं।

कुछ समय पहले ही मुझे स्मृति वन के लोकार्पण का उत्सव मिला था। जिन लोगों ने 26 जनवरी, 2001 के विनाशकारी भूकंप में अपना जीवन बनाया, ये उनकी स्मृतियों का, स्मारक है। यहां दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय है, जिसे 2024 का UNESCO Prix Versailles Interiors World Title मिला है! यह भारत का एकमात्र ऐसा

संग्रहालय है, जिसे यह विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। यह स्मारक हमें हमेशा याद दिलाता है कि कैसे बहुत विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारा मन, हमारी भावनाएं हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।

तब और अब को बताने वाली तस्वीर

करीब दो दशक पहले स्थितियां ऐसी थीं कि अगर आपको कच्छ आने का निमंत्रण मिलता, तो आप सोचते कि कोई मजाक कर रहा है। कारण ये था कि तब तक भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक होने के बावजूद भी, कच्छ बहुत बेहाल स्थिति में था। ये स्थितियां तब थीं, जब कच्छ में एक तरफ रेगिस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन सुरक्षा और पर्यटन दोनों ही क्षेत्र में ये

स्थान पिछड़ा हुआ था।

कच्छ ने 1999 में चक्रवात और 2001 में भीषण भूकंप का सामना किया था। यहां सूखे की समस्या रहती थी। खेती के पर्याप्त साधन नहीं थे। यही कारण था कि अन्य लोग इसके अच्छे भविष्य की सोच तक नहीं पाते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कच्छ के लोगों की ऊर्जा, उनकी इच्छा शक्ति क्या है। दो दशकों में अपनी मेहनत से, कच्छ के लोगों ने अपना भाग्य बदला। 21वीं शताब्दी के शुरुआत से कच्छ में एक परिवर्तन की भी शुरुआत हुई।

हम सबने मिलकर कच्छ के समावेशी विकास पर काम किया। हमने Disaster Resilient Infrastructure बनाने पर फोकस किया। इसके साथ ही यहां ऐसी आजीविका पर जोर दिया, जिससे यहां के युवाओं को काम की तलाश में अपना घर ना छोड़ना पड़े।

यही कारण है कि 21वीं सदी के पहले दशक के अंत तक जो धरती सूखे के लिए जानी जाती थी, वह आज कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों के पड़ाव पर है। यहां के आम सहित कई फल विदेशी बाजार में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कच्छ के हमारे किसान भाई-बहनों ने ड्रिप सिंचाई और अन्य तकनीकों से खेती को बहुत समृद्ध किया है। इससे पानी की हर बूंद के संरक्षण के साथ अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित हुई है।

गुजरात सरकार के औद्योगिक विकास पर जोर देने से इस जिले में निवेश को भी काफी बढ़ावा मिला है। हमने कच्छ के तटीय क्षेत्र का उपयोग करके इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने का काम किया।

कच्छ में पर्यटन की संभावनाओं को और विस्तार देने के लिए 2005 में कच्छ रण उत्सव की शुरुआत की गई थी। आज यह स्थान एक Vibrant Tourism Centre बन चुका है। रण उत्सव को देश-विदेश के कई अवॉर्ड्स मिल चुके हैं।

हर साल धोरडो गांव में रण उत्सव का आयोजन होता है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि इस गांव को United Nations World Tourism Organization ने 2023 का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। इस गांव की संस्कृति, पर्यटन और यहां हुआ विकास हर देशवासी को गौरव से भर देता है।

मुझे विश्वास है कि आप सब भी कच्छ की विरासत भूमि को देखने यहां आएंगे और अपनी इस यात्रा के अनुभवों से दूसरों को भी यहां आने की प्रेरणा देंगे। जब आप इन अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करेंगे, तो पूरा विश्व भी इनसे जुड़ेगा। इस संस्कृति और आतिथ्य के भाव को जी सकेगा।

इसी आमंत्रण के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष 2025 के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए सफलता, समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन लेकर आए, यही प्रार्थना है। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका की 16 दिसंबर को नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को अधिक मजबूत प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका की पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का विस्तार देना था। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई, जिसमें पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने और बिजली ग्रिड को जोड़ने जैसे सहयोग को बढ़ावा देने की योजना पर तेजी से कार्य करने की सहमति बनी

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका ने 2022 में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान और उसके बाद श्रीलंका के लोगों को भारत द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन की गहरी सराहना की। उन्होंने समृद्ध भविष्य, अधिक अवसरों और निरंतर आर्थिक विकास की श्रीलंकाई जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी गहन प्रतिबद्धता को याद करते हुए इन उद्देश्यों की प्राप्ति में भारत के निरंतर समर्थन की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और 'सागर' दृष्टिकोण में श्रीलंका के विशेष स्थान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति श्री दिसानायका को इस संबंध में भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और इसका श्रीलंका के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों नेताओं ने आगे सहयोग की संभावना पर जोर देते हुए भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ताकि दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापक साझेदारी हो सके ।

जनोन्मुखी विकास साझेदारी को और अधिक तीव्र बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए दोनों नेताओं ने इन बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की:

- भारतीय आवास परियोजना के चरण III और IV, 3 (तीन) द्वीप हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और श्रीलंका भर में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं जैसी चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मिलकर काम करना
- भारतीय मूल के तमिल समुदाय, पूर्वी प्रांत और श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण के लिए परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन की दिशा में पूर्ण समर्थन प्रदान करना
- श्रीलंका सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विकास साझेदारी के लिए नई परियोजनाओं और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान

दोनों नेताओं ने क्षमता निर्माण में श्रीलंका को सहायता प्रदान करने में भारत की भूमिका पर बल देते हुए और श्रीलंका में विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; भारत में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की और श्रीलंका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रों के अलावा नागरिक, रक्षा और विधिक क्षेत्रों में श्रीलंकाई अधिकारियों के लिए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

राष्ट्रपति श्री दिसानायका ने आपातकालीन वित्तपोषण और 4 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा सहायता सहित अद्वितीय और बहुआयामी सहायता के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं ने अधिक संपर्क के महत्व का उल्लेख किया और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के एक-दूसरे के पूरक होने की बात स्वीकार की, जिसका उपयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली पर संतोष व्यक्त करते हुए वे इस बात पर सहमत हुए कि अधिकारियों को रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की शीघ्र बहाली की दिशा में काम करना चाहिए।

दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा हित साझा हैं। उन्होंने द्विपक्षीय रूप से और मौजूदा क्षेत्रीय ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। ■

सत्र में लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 19 बैठकें आयोजित की गईं

संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सत्र 25 नवंबर, 2024 को शुरू हुआ था और 26 दिनों तक चले सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें और राज्यसभा की 19 बैठकें हुईं।

सत्र के दौरान लोकसभा में 5 विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए तथा 3 विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किए गए। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा 'भारतीय वायुयान विधेयक, 2024' नामक एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य विमान अधिनियम, 1934 में समय-समय पर किए गए संशोधनों के कारण होने वाली अस्पष्टता को दूर करने के लिए विमान अधिनियम को फिर से लागू करना है।

हमारे देश ने 26 नवंबर, 2024 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया जो हमारे संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक थी। उस दिन चार थीमों के तहत साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया गया— प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और इसकी महिमा का जश्न मनाना। इस अवसर को मनाने के लिए 26 नवंबर, 2024 को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जहां एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट के लॉन्च के अलावा 'भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा' और 'भारत के संविधान का निर्माणः एक झलक' शीर्षक से दो पुस्तकों का विमोचन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, दोनों सदनों के संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया। दुनिया भर में सभी भारतीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना पढ़ने में शामिल हुए।

संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में 'भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। लोकसभा में यह चर्चा 15 घंटे 43 मिनट तक चली जिसमें 62 सदस्यों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री ने इसका उत्तर दिया। राज्यसभा में यह चर्चा कुल 17 घंटे 41 मिनट तक चली, जिसमें 80 सदस्यों ने भाग लिया और गृह मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

हमारे देश ने 26 नवंबर, 2024 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया जो हमारे संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक थी। उस दिन चार थीमों के तहत साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया गया— प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और इसकी महिमा का जश्न मनाना।

2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की पहली श्रृंखला पर चर्चा की गई और पूर्ण मतदान हुआ तथा संबंधित विनियोग विधेयक को लगभग 7 घंटे 21 मिनट की बहस के बाद 17.12.2024 को लोकसभा में प्रस्तुत कर उस पर चर्चा की गई और उसे पारित किया गया।

दो ऐतिहासिक विधेयक अर्थात् (i) संविधान (एक सौ उनतीसवां) संशोधन विधेयक, 2024 और (ii) केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के दृष्टिकोण के तहत लोकसभा और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनावों की व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए, 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए और 20 दिसंबर, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिए गए।

इस सत्र में लोकसभा में विधायी कार्य लगभग 54.5 प्रतिशत तथा राज्यसभा में लगभग 40 प्रतिशत रहा है।

लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक

तटीय नौवहन विधेयक, 2024; मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024; संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024; केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024; विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024

संसद के सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024
2. केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

लोकसभा द्वारा पारित विधेयक

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024; रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024; आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024; विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024

राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक

- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024; भारतीय वायुयान विधायक, 2024; बॉयलर्स विधेयक, 2024

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

पीएम-आशा से किसानों को सशक्त बनाना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए बनाई सरकार की एमएसपी नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि खेती में अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिले और उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीफ और रबी मौसम में उगाये जाने वाले प्रमुख अनाज, श्रीअन्न (बाजरा), दालें, तिलहन, खोपरा, कपास और जूट को कवर करने वाली चुनिंदा फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य है। सरकार न्यूनतम मूल्य को किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए मूल्य समर्थन की गारंटी देती है तथा 24 फसलों के लिए उत्पादन लागत (सीओपी) का 1.5 गुना एमएसपी तय करती है

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) की व्यापक योजना लागू करता है। यह योजना अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए लागू की जाती है। पीएम-आशा सितंबर, 2018 में दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान करने, किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, फसल कटाई के बाद की बिक्री मजबूरी को कम करने और दलहन और तिलहन के फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सितंबर, 2024 में मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को शामिल करते हुए पीएम-आशा के रूप में एकीकृत योजना जारी रखने को मंजूरी दी।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरोध पर लागू की जाती है जो किसानों के हित में अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद पर मंडी कर से छूट देने के लिए सहमत होते हैं। वर्ष 2024-25 के खरीद सत्र से, पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उस विशेष सत्र के लिए राज्य के उत्पादन के अधिकतम 25% तक की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद, यदि राज्य अपने उत्पादन के 25% की अपनी सीमा को समाप्त कर देता है, तो आवश्यक अनुमोदन के बाद राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को पीएसएस के तहत अतिरिक्त खरीद के लिए राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतम 25% तक की मंजूरी दी जाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वर्ष 24-25 के लिए तुअर, उड़द और मसूर के सम्बंध में खरीद की अधिकतम सीमा हटा दी गई है।

पीएम-आशा छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है

पीएम-आशा छोटे और सीमांत किसानों के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है जो बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यह फसल के बाद के नुकसान को कम करता है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी आमदनी में सीधे वृद्धि होती है। चूंकि किसान अपनी फसल के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं, इसलिए इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। किसानों को मूल्य समर्थन या कम भुगतान तंत्र के कारण फसल के समय कम बाजार मूल्य पर फसल बेचने की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ता है।

सरकार किसानों के आर्थिक विकास और समावेशी विकास के लिए पीएम-आशा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित केंद्रों पर किसानों की कृषि उपज की खरीद के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय में बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है।

रबी 2023-24 सीजन के दौरान 6.41 लाख मिट्रिक टन दलहन की खरीद की गई

रबी 2023-24 सीजन के दौरान 2.75 लाख किसानों से 4,820 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 6.41 लाख मिट्रिक टन (एलएमटी) दलहन की खरीद की गई, जिसमें किसानों को समर्थन देने के लिए एमएसपी पर 2.49 एलएमटी मसूर, 43,000 मीट्रिक टन चना और 3.48 एलएमटी मूंग की खरीद शामिल है। इसी तरह, 5.29 लाख किसानों से 6,900 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 12.19 एलएमटी तिलहन की खरीद की गई।

चालू खरीफ सीजन की शुरुआत में सोयाबीन के बाजार भाव एमएसपी से काफी नीचे चल रहे थे, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही थी। पीएसएस योजना (पीएम-आशा का घटक) के तहत भारत सरकार के हस्तक्षेप से सरकार ने (11 दिसंबर, 2024 तक) 2,700 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5.62 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की है और इससे 2,42,461 किसानों को लाभ पहुंचा है। ये अब तक की गई सोयाबीन की सबसे बड़ी खरीद है, जो किसानों के कल्याण के प्रति भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2018-19 से खरीद के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 195.39 एलएमटी दलहन, तिलहन और खोपरा 1,07,433.73 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीदा गया है, जिससे 99,30,576 किसानों को लाभ पहुंचा हैं।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना

सरकार तिलहन के लिए एक विकल्प के रूप में मूल्य न्यूनता

भुगतान योजना (पीडीपीएस) को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य तिलहन के उन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, जिनके एमएसपी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। पीडीपीएस में एमएसपी और अधिसूचित बाजार में बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का 15 प्रतिशत तक केंद्र सरकार द्वारा पूर्व-पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के लिए अपने उत्पादन का 40 प्रतिशत तक का भुगतान करने की व्यवस्था बनाने की योजना है। हालांकि, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास विशेष तिलहन के लिए विशेष वर्ष/सीजन के लिए पीएसएस या पीडीपीएस को लागू करने का विकल्प है।

पीएम-आशा का एक अन्य महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटक 'बाजार हस्तक्षेप योजना' (एमआईएस) है, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू आदि जैसी खराब होने वाली कृषि/बागवानी वस्तुओं के लिए है, जो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरोध पर उस स्थिति में लागू की जाती है, जब पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की कमी होती है।

एमआईएस के तहत भौतिक खरीद के स्थान पर राज्यों के पास बाजार हस्तक्षेप मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान का विकल्प हो सकता है, जो फसलों के उत्पादन के 25% और एमआईपी के 25% तक के अधिकतम मूल्य अंतर के कवरेज के अधीन है। इसके अलावा, टीओपी फसलों के मामले में, जहां उत्पादन और उपभोग करने वाले राज्यों के बीच मूल्य अंतर है, किसानों के हित में, नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा फसलों को उत्पादक राज्यों से अन्य उपभोक्ता राज्यों में संग्रह करने और ढुलाई परिचालन लागतों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

यह योजना टमाटर, प्याज और आलू जैसी मूल्यों में उतार-चढ़ाव फसलों को उगाने वाले किसानों को अत्यधिक लाभान्वित करेगी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से प्रमुख फसलों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन फसलों की कीमतें सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस कारण किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती है। इसके अलावा, इन फसलों में मूल्य असमानता है, अर्थात उत्पादक राज्यों में कीमतें बहुत कम हैं, जबकि उपभोक्ता राज्यों में कीमतें बहुत अधिक हैं। इसलिए यह योजना मूल्य अंतर को पाटने और मूल्य अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पीएम-आशा देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। सुनिश्चित आय प्रदान करने वाली और बाजार मूल्यों में स्थिरता लाकर ये योजना न केवल एक कल्याणकारी उपाय है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम है। यह छोटे और सीमांत किसानों को बाजार में होने वाले कीमतों के उतार-चढ़ाव और कृषि उपज के मूल्य का बड़ा हिस्सा अपने नाम करने वाले बिचौलियों की अनिश्चितताओं से भी बचाती है। ■

'भाजपा को जानें' पहल

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति से भेंट की

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में 'भाजपा को जानें' पहल के तहत श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायके से भेंट की।

श्री नड्डा ने भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पिछले दशक में भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य के सहयोग, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में नये अवसरों की खोज पर जोर देने पर सहमति बनी।

श्री नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और गतिविधियों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पावर के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और पार्टी-टू-पार्टी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य आपसी समझ को और अधिक गहरा करना है।

महामहिम श्री अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ■

प्रधानमंत्री ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2001 के संसद हमले में शहीद हुए लोगों को 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा,

"वर्ष 2001 के संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका बलिदान हमारे देश को सदैव प्रेरणा देगा। हम उनके साहस और समर्पण के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।"

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में 13 दिसंबर, 2024 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संगम (उत्तर प्रदेश) में 13 दिसंबर, 2024 को पूजा–अर्चना करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2024 को क्रिसमस समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जयपुर (राजस्थान) में 17 दिसंबर, 2024 को राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 'एक वर्ष–परिणाम उत्कर्ष' कार्यक्रम में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 16 दिसंबर, 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमारा दिसानायका से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 15 दिसंबर, 2024 को मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 28 दिसंबर, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

#HamaraAppNaMoApp

नरेन्द्र मोदी ऐप !!

प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने के लिए
1800-2090-920
पर मिस कॉल करें!

पहचान:
अपने काम को पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें और अपनी पहचान बनायें।

सशक्तिकरण:
कार्यों को प्रभावी ढंग और कुशलता से पूरा करके अपनी क्षमता का अनुभव करें।

नेटवर्किंग:
पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ें जो अच्छा काम कर रहे हैं।

सहभागिता:
समावेशी विकास को शक्ति प्रदान करने वाले विचारों और प्रयासों की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाएं।

इस QR को को स्कैन करके नमो ऐप को डाउनलोड करें।

नमो ऐप के संबंध में नवीनतम जानकारी पाएं। (QR कोड स्कैन करें)

NARENDRA MODI APP

E-books | India Positive | Info-in-graphics | Kashi Vikas Yatra | Mann ki Baat | Media Coverage | Mera Saansad | Vikas Yatra | Your Voice

छायाकार: अजय कुमार सिंह